कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.)

फोन एवं फैक्स नं. 07749–223077, ई–मेल : balod.court@nic.in

|| आदेश ||

कमांक 289/दो–11–1/2013 (ए)(3) **बालोद, दिनांक 13/12/2023**

इस कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश कमांक 271/दो–11–1/2013 (ए) (3) बालोद, दिनांक 28/11/2023 के अनुसार जिला न्यायालय, बालोद के अंतर्गत सहायक ग्रेड–3 के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप इस स्थापना के चयन समिति द्वारा जारी प्रतीक्षारत् सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी का वरियताकमानुसार इस न्यायिक जिला स्थापना, बालोद में सहायक ग्रेड–3 (जिला न्यायालय) (वेतनमान 19500–62000 लेवल–4) के रिक्त पर अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क.	नाम	पिता/पति का नाम	नियुक्ति का वर्ग	अभ्यर्थी का वर्ग	पता
सहायक ग्रेड–03 (जिला न्यायालय)					
1	श्री मणिशंकर देशमुख	श्री भूखनलाल देशमुख	अनारक्षित (मुक्त)	अपिव	म.नं. 188, देशमुख विला, ग्राम मोहलाई, पोस्ट दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन–491001

छ.ग. सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अधीन नियुक्ति की शर्तें :–

1. सामान्य प्रवर्ग के चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार इनके अतिरिक्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति, सेवा पुस्तिका (दो प्रति में) एवं जीपीएफ पासबुक कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आयेगें।

2. आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र, यदि पूर्व से सत्यापित न हो, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा।

3. **चयनित उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थिति के समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर ही मेडिकल प्रमाण–पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे।**

4. चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

5. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

6. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।

7. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

8. चयनित अभ्यर्थी को **दिनांक 26.12.2023 तक** अनिवार्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित समयावधि तक जिला मुख्यालय में विभिन्न अनुभागों एवं न्यायालयों में लिपिकीय कार्यों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना होगा इसके पश्चात सिविल जिला बालोद के जिला मुख्यालय अथवा बाह्य न्यायालयों में कहीं भी पदस्थापना की जावेगी तब ऐसे पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा

स्थानांतरण के पश्चात नवीन पदस्थापना स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जावेगा तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

9. उक्त कर्मचारी की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से अस्थायी रूप से तीन वर्ष तक परिवीक्षा अवधि में रखी जाती है।

10. यह नियुक्ति आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी. (सी.) कमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां. कमांक 642/दो–11–1/2013 (ए) (3) **बालोद, दिनांक 13/12/2023**

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके ज्ञापन कमांक ज्ञापन कमांक 6049/डी.ई./तीन–18–27/2023 बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 में दिये निर्देश के पालन में सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चयनित अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उनका स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज का सत्यापन कर उनकी सेवा–पुस्तिका का संधारण करावें।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, बालोद की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके बैठने हेतु आवश्यक व्यवस्था करावें।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रशासनिक अधिकारी, कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थियों से कार्य पर उपस्थित होने पर आवश्यक दस्तावेजों का मिलान कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करें।
8. सहायक लेखापाल/वेतन देयक लिपिक की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् आवश्यक सेवा अभिलेख एवं वेतन आहरण हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति करावें।
9. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10.

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पता
1	श्री मणिशंकर देशमुख	श्री भूखनलाल देशमुख	सहायक ग्रेड–3	म.नं. 188, देशमुख विला, ग्राम मोहलाई, पोस्ट दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन–491001

की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि वे अपने चयनित पद सहायक ग्रेड–3 के पद का **<u>दिनांक 26.12.2023 तक</u>** आवश्यक रूप से समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों व दस्तावेजों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करावें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)